न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
67/2025	24.04.2025	04.06.2025

अनवान

1. रामेश्वरलाल पुत्र चतरभुज जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. शंकरलाल पुत्र चतरभुज जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. काली बाई पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. प्रेमबाई पत्नी शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र शंकरलाल जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. गायत्री पत्नी रतनलाल जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भैरूलाल पुत्र दल्लीचन्द जाति सुथार आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. किशन लाल पुत्र दल्लीचन्द जाति सुथार आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. सोहनलाल पुत्र नारू जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. भवानी पुत्र उंकार जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. नारायणलाल पुत्र गुलाब जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. कमलाशंकर पुत्र भगवानलाल जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. शंकरलाल पुत्र कालु जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— प्रार्थी स्वयं — प्रार्थीगण
एकतरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा इन्दरपुरा

उपखण्ड अधिकारी, कपासन • जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ

पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 6 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 219 रकबा 0.09 हैक्ट0, आराजी संख्या 222 रकबा 0.40 हैक्ट0, आराजी संख्या 224 रकबा 0.20 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 75 की आराजी संख्या 218 रकबा 0.09 हैक्ट0, आराजी संख्या 220 रकबा 0.57 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 04.06.2025 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा इन्दरपुरा पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 6 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 219 रकबा 0.09 हैक्ट0, आराजी संख्या 222 रकबा 0.40 हैक्ट0, आराजी संख्या 224 रकबा 0.20 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 75 की आराजी संख्या 218 रकबा 0.09 हैक्ट0, आराजी संख्या 220 रकबा 0.57 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 निम्बाहेडा को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश संघालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन • जिला चित्तौडगढ